न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.— 108/21

पुरखाराम पुत्र मघाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. जीवणी पत्नि चन्द्राराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भागुराम पुत्र चन्द्राराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
3. दुलाराम पुत्र टीकुराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
4. मनोहरी पत्नि प्रेमाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
5. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत व राजस्व अक्स में दुरूस्ती बाबत।

उपस्थित :— 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट— वकील वादी
2. पेरोकार राज

—: निर्णय :— दिनांक:— 01-07-22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 1067/69 एक हजार सडसठ बट्टा उनहतर तादादी 5.6025 पांच दशमलव छः जीरो दौ पांच हेक्टेयर, खसरा संख्या 1068/69 एक हजार अडसठ बट्टा उनहतर तादादी 3.8697 तीन दशमलव आठ छः नौ सात हेक्टेयर कुल किता 2 दौ कुल रकबा 9.4722 नौ दशमलव चार सात दौ दौ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण की 5733/31574 पांच हजार सात सौ तेतीस बट्टा इकतीस हजार पांच सौ चौहतर हिस्सा भूमि है जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार वादगत खेत को अलग—अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार का खान—पान, रहन—सहन सब अलग—अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में से अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राज़स्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन करायें जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 25.08.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदख़ल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि का मूल खसरा संख्या 69 उनहतर तादादी 46 छियालीस बीघा था। संयुक्त खातेदार बृजलाल ने विभाज़न का वाद पेश किया था जो मुकदमा नंबर 3/17 दिनांक 30.07.2018 को डिक्री हुआ था। उक्त वाद में हल्का पटवारी ने नामान्तरण की परत पर नजरी नक्शा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार सही बनाया था लेकिन नक्शा लट्ठा में तरमीम अलग तरह से कर दी, जो कि गलत है। उक्त नक्शा लट्ठा के अनुसार ही नक्शा ऑनलाईन कर दिया गया। जिसको विभाजन प्रस्ताव के अनुसार सही किया जाना आवश्यक है। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन, अक्स में संशोधन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज का जवाब आ चुका है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। वादी ने वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करने व तरमीम शुद्व करने का निवेदन किया है। वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम लालगढ के खसरा संख्या 1062/69, 1063/69, 1064/69, 1065/69, 1066/69 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार पुनः की जावे। खसरा संख्या 1067/69 तादादी 5.6025 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1068/69 तादादी 3.8697 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 9.4722 हेक्टेयर में वादी की 5733/31574 हिस्सा भूमि की खसरा संख्या 1062/69 की पश्चिमी साईड में व खसरा संख्या 1067/69 की दक्षिणी साईड में अलग खातेदारी दर्ज कर लगान का विभाजन कर इसी प्रकार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। सम्पूर्ण तरमीम सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार की जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01-07-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner